

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उनवान : समस्त पुरोहितान् वारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/230

प्रार्थी :-

- समस्त पुरोहितान्, वारलावास,  
नाडोल के प्रतिनिधिगण
- जेदूसिंह पुत्र श्री तख्तसिंह
  - मानसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह  
(विलोपित)
  - कानसिंह पुत्र श्री सबलसिंह
  - जबरसिंह पुत्र श्री थानसिंह
  - दौलतसिंह पुत्र श्री रावतसिंह
  - मोहनसिंह पुत्र श्री शिवलालसिंह
- समस्त जातिगण राजपुरोहित  
निवासीगण नाडोल, तहसील  
देसूरी, जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

- रमेश कुमार पुत्र शिवलाल
- ओगप्रकाश पुत्र शिवलाल
- सुशीला पुत्री शिवलाल  
जातिगण वोहरा, निवासीगण  
नाडोल तहसील देसूरी
- शैतानसिंह पुत्र उदयसिंह  
जाति राजपुत निवासी  
करणवा, तहसील देसूरी जिला  
पाली राज.
- ग्राम पंचायत नाडोल जरिये  
सरपंच महोदय, तहसील  
देसूरी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत नाडोल मिसल संख्या 15/1984-85, फैसल दिनांक 09.05.1988 जिसकी पालना में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.08.2021 और जारी पट्टा संख्या 2 दिनांकित 06.08.2021 को निरस्त करवाने बाबत्  
उपस्थिति:-

- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
- अप्रार्थी संख्या 01,02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी व  
नेकाराम चौधरी।

—:निर्णय:-

दिनांक: 17.06.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत नाडोल मिसल संख्या 15/1984-85, फैसल दिनांक 09.05.1988 जिसकी पालना में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.08.2021 और जारी पट्टा संख्या 2 दिनांकित 06.08.2021 को निरस्त करवाने बाबत् प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि :-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उनवान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेतूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

1. प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नाडोल पटवार हल्का द्वितीय के खसरा संख्या 3867 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3877/5745 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3879/5746 रकबा 0.04 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 3883/5747 रकबा 0.75 हैक्टेयर स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी की होने से कब्जे-काशा उपयोग, उपयोग में आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमि सैटलमेंट से पूर्व एक दूसरे से लगती हुई अर्थात् चिपती स्थित थी। खसरा संख्या 3877/5745, 3879/5746 एवं 3883/5747 के गत खसरा नम्बर 1053 थे तथा खसरा नम्बर 3867 के गत खसरा नम्बर 894 थे। उपरोक्त दोनों कृषि भूमि एक दूसरे के चिपती हुई थी। बीच में अन्य किसी प्रकार की खातेदारी अथवा आबादी भूमि नहीं थी। सैटलमेंट के दौरान विना अधिकारिता के दोनों भूमियों के बीच में खसरा नम्बर 3877 नया कायम कर गैर मुमकीन गौघर के रूप में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज कर दिया।
2. प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 3867 और खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3877/5745 के बीच में उपरोक्त नया खसरा नम्बर 3877 गैर मुमकीन गौघर के रूप में सैटलमेंट के दौरान दर्ज कर दिया, जो अवैध इन्द्राज है। सैटलमेंट अधिकारी को उपरोक्त प्रकार के इन्द्राज किये जाने, किसी की खातेदारी कम करने, बढ़ाने के कोई अधिकार नहीं है। यह कि खसरा नम्बर 3877 का कुल रकबा 5.60 हैक्टेयर गौघर के रूप में ग्राम पंचायत के खाते में सैटलमेंट के दौरान दर्ज कर दिया था, जिसमें से 2 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकीन आबादी के रूप में उपखण्ड अधिकारी, बाली का आदेश दिनांक 14.01.1997 की पालना में म्यटेशन संख्या 417 द्वारा आबादी दर्ज कर खसरा नम्बर 3877/1 के रूप में दर्ज की गई, उससे पूर्व उपरोक्त भूमि गैर मुमकीन गौघर के रूप में ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।
4. इस प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बर 3877/1 के रूप में 2 हैक्टेयर भूमि को आबादी में दिनांक 14.01.1997 को सक्षम आदेश कृषि भूमि से आबादी में परिवर्तित की गई, उससे पूर्व गौघर थी, जिसमें जैर निगरानी आदेश मय विक्रय बिलेख जारी किया गया है, जो अवैध है।
5. रामचन्द्र दमामी के द्वारा इस आशय का ग्राम पंचायत में दिनांक 10.06.1984 को आवेदन पेश किया गया कि उसके रहने के लिए प्लॉट नहीं है, किराये पर रहता है, इसलिए प्लॉट दिलाया जावे। उपरोक्त आवेदन के आधार पर जैर निगरानी मिसल दर्ज करना बताया गया। उपरोक्त मिसल में सचिव द्वारा नवशा बनाकर पेश किया गया, दो-तीन पंचों को मौका देखकर रिपोर्ट पेश करने का निवेदन किया गया, बाद में दो माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 18.04.1988 द्वारा भूमि को नीलामी में विक्रय किये जाने हेतु दिनांक 05.06.07 मई 1988 को नीलामी की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात मिसल दिनांक 09.05.1988 को बैठक में पेश होना बताया और उसमें उच्चतम बोली तारादेवी पत्नी शिवलालजी मोहरा की रुपये 751/- होना बताया, जिसकी एक चौथाई राशि जमा होना बताया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृति दिये जाना बताया और पुष्टि हेतु मिसल उपजिलाधीश महोदय को भेजी जाने, तत्पश्चात नियम 251 में विक्रय बिलेख जारी करने की स्वीकृति दिये जाने बाबत आदेश पारित किया गया।
6. उपरोक्त प्रकरण में नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गई, साथ ही रामचन्द्र द्वारा आवेदन इस आधार पर दिया था कि उसके पास कोई रहवासीय भूखण्ड नहीं है, इसलिए प्लॉट दिया जावे। आवेदन में न तो प्लॉट का विवरण था, न ही प्लॉट कहाँ



अतिरिक्त जिला कलेक्टर



पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उनवान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेठूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

दिया जाना इस बाबत कथन थे। पूरे मिसल में किस खसरा नम्बर का, किस पडोस का, किस नाप का, कौनसा भूखण्ड निलाम किया जाना है, उसका कोई विवरण कहीं भी अंकित नहीं है। नीलामी का सूचना पत्र जो मिसल में लगा हुआ है, उसमें भी पडोस गलत लिखे हुए हैं। साथ में नाप भी लिखा हुआ नहीं है। भूखण्ड के उत्तर के पडोस में मदनसिंह का प्लॉट लिखा है, जबकि मदनसिंह का प्लॉट कभी भी नहीं रहा है, न ही आज है। साथ ही नीलामी कब कब पुकारती गई, किन किन बोली दाताओं ने भाग लिया, उस बाबत भी कोई विवरण नहीं है, न ही नीलामी दाताओं की सूची मिसल में लगी हुई है। इस प्रकार सारी फर्जी कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आदेश मय पट्टा जारी किया गया है, जो अवैध है।

7. जैर निगरानी भूखण्ड में जिस पडोस का वर्णन किया गया है वह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की खसरा नम्बर 3867 एवं खसरा नम्बर 3877 की गैर मुगकीन गौघर भूमि में आता है। भूखण्ड का अधिकांश भाग प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आता है, शेष भाग खसरा नम्बर 3877 वर्तमान खसरा नम्बर 3877/1 में आता है, जो मुख्य सड़क से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3867 के बीच रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। उपरोक्त भूखण्ड का कब्जा कभी भी ग्राम पंचायत द्वारा न तो तारादेवी को दिया गया, न ही अप्रार्थी संख्या एक से तीन को दिया गया है। कब्जा सुपूर्द किये जाने बाबत कोई फर्द अथवा दस्तावेज मिसल में नहीं है। आज भी स्वीकृत रूप से कब्जा प्रार्थी समाज का है, मौके पर गेट लगा हुआ है और मुख्य सड़क से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3867 के बीच कोई भूखण्ड नहीं है न ही भूखण्ड का अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी आदेश मय भूखण्ड किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।
8. अप्रार्थी संख्या पांच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.08.2021 को मिसल संख्या 15/1984-85 के संदर्भ में पारित करते हुए पंचायत राज नियम 1996 के उपनियम 3 का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्र क्रमांक 834 दिनांक 31.10.2013 के आदेश की पालना में पारित करना बताया। उपरोक्त मिसल में की गई कार्यवाही और नीलामी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 और उसके तहत बनाये गये सामान्य नियम 1961 के तहत की गई थी, जिसमें 1996 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जिला कलेक्टर महोदय पाली के जिस आदेश दिनांक 31.10.2013 का हवाला दिया गया है, उक्त आदेश जिला कलेक्टर महोदय पाली द्वारा पारित किया हुआ नहीं है, साथ ही उक्त आदेश में नियम 1996 के उपनियम 3 के तहत 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूल कर पट्टा जारी कर प्रकरण ड्रॉप करने का आदेश बताया जा रहा है, वह आदेश जिला कलेक्टर महोदय का नहीं होकर किसी लिपिक द्वारा पारित किया गया है, जो आदेश को देखने से स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से अवैध रूप से किसी लिपिक द्वारा उपरोक्त टिप्पणी करते हुए कार्यवाही की गई है, जो स्पष्ट रूप से अवैध आदेश है। विधिनुसार जिला कलेक्टर महोदय पाली द्वारा पारित आदेश नहीं माना जा सकता है।
9. मिसल संख्या 15 में नीलामी कार्यवाही कर आदेश दिनांक 09.05.1988 को पारित किया गया था, उसकी पालना में पट्टा 33 वर्ष बाद दिनांक 06.08.2021 को पारित करना बताया, जो किसी भी रूप में विधिनुसार नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 262 से 265 के बीच नीलामी के संबंध में प्रक्रिया दी हुई है। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत नियम 262 के तहत नीलामी हेतु जो संकल्प पारित किया जाएगा, उससे एक माह पूर्व नीलामी की कार्यवाही नहीं होगी और नीलामी कार्यवाही के लिए समय स्थान तय किया जाएगा, साथ ही तारीख,



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत नियमकी संख्या : 207/2024

संज्ञान : समस्त पुरोहितान बारलावार, नाबोल के प्रतिनिधिगण जेदुरिंद व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 07 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

समय, स्थान के नोटिस की उदघोषणा नियम 133 के उपनियम 2 में वर्णित शक्ति से की जाएगी। उपरोक्त प्रकरण में उक्त समस्त कर्तव्यों का पूर्णतया अभाव रहा है, क्योंकि नीलामी की कार्यवाही का प्रस्ताव दिनांक 18.04.1988 को पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में उससे एक माह बाद ही नीलामी कार्यवाही की जा सकती थी, उससे पूर्व नीलामी की कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से उपरोक्त नियम 262(1) के अनुरूप प्रतिबंधित था, फिर भी एक माह से पूर्व दिनांक 05.06. व 07 मई 1988 को नीलामी की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त दिनांक में ही नीलामी कार्यवाही किया जाना बताया है, जो पूर्णतया अक्षय है।

10. नियम 262(2) के तहत विधिनुरात नियम 133 के तहत कोई उदघोषणा जारी नहीं की गई, न ही नीलामी का स्थान तय किया गया, इस कारण भी नीलामी की कार्यवाही अक्षय और अपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।
11. नियम 263 के तहत अंतिम बोलीदाता के द्वारा 20 प्रतिशत राशि तुरन्त उरी स्थान पर और शेष राशि दो माह में जमा करना आज्ञापक प्रावधान है। नियम 263(2) के तहत दो माह में भूगतान न करने पर भूमि का तुरन्त विक्रय किया जाएगा। स्वीकृत रूप से अंतिम बोलीदाता द्वारा शेष राशि दो माह में जमा नहीं करवाई जाकर करीब 26 वर्ष बाद जमा करवाई है, जो विधिनुरात नहीं है। दो माह बाद स्वतः ही विक्रय की कार्यवाही निरस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उसके पश्चात न तो शेष नीलामी की राशि ली जा सकती है, न ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इस कारण भी संपूर्ण कार्यवाही, मय प्रस्ताव, मय पट्टा अपास्त योग्य है।
12. नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया दी हुई है, जिसके तहत समस्त नीलामी कार्यवाही सरपंच के मार्गदर्शन में की जाती है एवं नियम 265 के तहत नीलामी की पुष्टि किये जाने के प्रावधान है। नियम 265(2) के तहत एक हजार रुपये से अधिक की बोली नहीं होने पर स्वीकृति हेतु तीन दिन में उपजिलाधीश के पास भेजी जाएगी और उसके एक माह की अवधि के भीतर स्वीकृति के बारे में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो पंचायत निलाग को अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही करेगी। उपरोक्त प्रकरण में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई एवं जानबूझकर दो माह में राशि जमा नहीं करवाई गई। उपजिलाधीश से अनुमोदन एक माह में प्राप्त नहीं होने पर स्वतः ही अनुमोदन माने जाने का प्रावधान है और दो माह में शेष राशि जमा करवाये जाने का प्रावधान आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियमों की पालना नहीं की गई है, इसलिए संपूर्ण नीलामी कार्यवाही नियमों के विपरित अवैध होने से अपास्त योग्य है और उसकी पालना में जारी आदेश, प्रस्ताव एवं पट्टा भी अपास्त योग्य है।
13. बिना किसी आधिपत्य के ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं रास्ते के उपयोग की भूमि का पट्टा संख्या 2 दिनांक 06.08.2021 को अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में जारी किया गया और उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा अर्थात् अप्रार्थी संख्या एक से तीन के द्वारा उक्त पट्टे के आधार पर बिना आधिपत्य के ही भूखण्ड का विक्रय गू-माफिया अप्रार्थी संख्या चार को दिनांक 25.08.2021 को पट्टा जारी होने के 19 दिन की अवधि के भीतर ही कर दिया गया। ऐसा पट्टा जिससे न तो अप्रार्थी संख्या एक से तीन को स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त हुआ है, न ही उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या चार को स्वामित्व आधिपत्य प्राप्त हुआ है। उक्त विक्रय पत्र की ओट में अप्रार्थी संख्या 04 जो स्थानीय सामन्ती जाति का गू-माफिया है, जो जबरदस्ती गुंडे के दल पर उपरोक्त पट्टे की ओट में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि और रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर प्रार्थीगण को वेदखल करने पर अमादा है, साथ ही उपरोक्त कृत्य से मौके पर लड़ाई झगडा व खून खराबा होने की

अतिरिक्त निरीक्षक कलेक्टर  
राजसि जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उनवान : समस्त पुरोहितान बारलावारा, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदुरिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

पूरी संभावना है। उपरोक्त जैर निगरानी मिसल, आदेश, प्रस्ताव और पट्टे की जानकारी उक्त अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा खरीद करने के दिन ही मौके पर आकर प्रार्थीगण को एलाभिया धमकी देकर उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी होना और पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या चार द्वारा खरीद करना बताया तथा जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दिये जाने, प्रार्थी का गे तोड़े जाने की धमकी दिये जाने से हुई है। उससे पूर्व उपरोक्त जैर निगरानी मिसल, आदेश, प्रस्ताव और पट्टे की कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। इसलिए सारप्रथम जानकारी होते ही इस संबंध में मिसल इत्यादि ग्राम पंचायत से संपूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की, जो बहुत ही मुश्किल से ग्राम पंचायत द्वारा दी गई है। तत्परचात अन्य दस्तावेज प्राप्त कर पेश की जा रही है।

14. जैर निगरानी आदेश, प्रस्ताव एवं पट्टे से प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया व्यथित, प्रभावित एवं हितवद्ध है, क्योंकि उपरोक्त पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में तथा खातेदारी भूमि से सड़क के मध्य स्थित रास्ते की भूमि का दिया गया है। उपरोक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में मुख्य सड़क से आ जा नहीं सकेंगे, उक्ता रास्ता शुरू से ही रहा है, भूखण्ड का कुछ भाग प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3867 में आता है, इस प्रकार से जैर निगरानी आदेश एवं पट्टे इत्यादि से प्रार्थी पूर्णरूपेण व्यथित पक्षकार है।

रवीकृत रूप से कमी भी किसी भी आदेश या प्रस्ताव द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड का कब्जा अप्रार्थी संख्या एक से तीन को ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है, न ही इनके पूर्वज तारादेवी को दिया गया है। इस संबंध में कब्जा कब और किस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को दिया गया है, कहीं भी संपूर्ण मिसल में दर्ज नहीं है, न ही कोई फर्द है, न ही अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है, जिससे कब्जा दिया जाना प्रमाणित होता हो। विधिक रूप से उपरोक्त भूमि पर आधिपत्य प्रार्थीगण का ही पीढियों से रहा है, अपनी खातेदारी भूमि में जाने का एकमात्र रास्ता भी यही है, जिस पर प्रार्थीगण का गेट लगा हुआ है, उसी में से होकर प्रार्थीगण और उनके पूर्वज अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते रहे है जो स्थिति 50 वर्षों से अधिक समय से लगातार रही है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूखण्ड में चल रहे रास्ते का सुखाधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है, इस कारण भी जैर निगरानी आदेश, प्रस्ताव एवं पट्टा खारिज योग्य है।

16. उपरोक्त भूखण्ड पर आधिपत्य पूर्णरूपेण प्रार्थीगण का ही होना ग्राम पंचायत ने पूर्व में मानकर प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिससे भी स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थीगण का होना साबित है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को नीलामी में विक्रय किये जाने की सारी प्रक्रिया ही अवैध होने से अपास्त योग्य है।
17. जब नीलामी बोली लगाई जाती है तब कौन कौन व्यक्ति नीलामी बोली में भाग ले रहे है, उनकी सूची बनाई जाती है। किस किस व्यक्ति ने कितनी राशि की बोली लगाई है इसका सूची में अंकन किया जाता है और अंतिम बोलीदाता कौन रहता है, उसकी भी सूची बनाई जाती है, हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई नीलामी सूची नहीं है कि किस प्रकार तारादेवी उच्च बोलीदाता रही है, कहीं भी प्रकट नहीं है।
18. उक्त तारादेवी द्वारा तत्समय ही मिसल संख्या 26/1983-84 निर्णित दिनांक 01.01.1984 के तहत 100 फीट बाई 100 फीट का पट्टा उद्योग लगाने हेतु भी जारी करवाया गया है, जिसका पट्टा संख्या 195 तारादेवी के पक्ष में जारी हो रखा है। जबकि उद्योग लगाये जाने हेतु पट्टा दिये जाने बाबत कोई प्रावधान पुराने पंचायत राज अधिनियम और नियमों में नहीं है, फिर भी अवैध रूप से पट्टा प्राप्त किया है।

अतिरिक्त प्रतीति कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली



पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उनवान : समस्त पुरोहितान बारलाबास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेठूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाने जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव एवं पट्टे को अपारत फरमाने।

राजस्व (मुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प 2(15)राज/2022 दिनांक 25.09.2022 की अनुपालना में श्रीमान जिला कलेक्टर माहोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री नेकराम चौधरी नकलनामा पेश किया एवं पूर्व में प्रस्तुत जवाब को संतोषप्रद बताते हुए अन्य कोई प्रत्युत्तर शेष नहीं होना बताया। अप्रार्थी संख्या 04 एवं 05 के विरुद्ध पूर्व आदेशिका दिनांक 10.07.2024 द्वारा एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जा चुकी है।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से पूर्व में प्रस्तुत एवं पत्रावली में उपलब्ध जवाबपत्र अनुसार यह वर्णित है कि:-

1. निगरानी के पद संख्या 1 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वर्तमान खसरा नम्बर 3867, 3877/5745, 3879/5746, 3883/5747 की कृषि भूमि के हक व अधिकार प्रार्थी के सेटलमेंट के पूर्व नहीं थे, हाल के खसरा नम्बर 3867 के पुराने खसरा नम्बर 864 थे तथा 3877 के पुराने खसरा नम्बर 894 थे। तथा 894 के नये नम्बर 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880 व 3881 कायम हुए तथा उक्त खसरान नये के पुराने खसरा नम्बर 894 थे तथा 894 का कुल रकबा 382 बीघा 7 विस्वा था तथा वर्तमान खसरा नम्बर 3877/5745 जो 3877 का टुकड़ा है तथा जो इसमें 5745 नम्बर दर्ज किये गये है वो गांव के अंतिम खसरे के बाद के है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि के चिपते 3877 की भूमि बताया है व जो नया खसरा बताया है ये नया खसरा नहीं है तथा प्रार्थी का जो नम्बर है, ये इसी खसरे का बट्टा नम्बर है। खसरा नम्बर 3877 की भूमि पूर्व से आबादी भूमि रही है व आबादी भूमि का हिस्सा ही खसरा नम्बर 3877 है। पुराने खसरा नम्बर 894 में जमाबंदी सम्बन्ध 2034 से 2037 के अनुसार 894 को 894/3 दर्ज कर आबादी भूमि रकबा 85 बीघा 9 विस्वा दर्ज की गई, जमाबंदी की नकल साथ सलग्न है। उक्त 85 बीघा भूमि जो आबादी में दर्ज रही इसके पट्टे मदनसिंह पुत्र खीमसिंह के नाम का पट्टा संख्या 19 मिसल संख्या 9/80-81 में दिनांक 19.12.1980 को जारी किया गया, इस पट्टे के पश्चिम की तरफ सादडी की सड़क दर्जसुदा है तथा इसी समय शिवलाल को पट्टा संख्या 22 मिसल संख्या 32/80-81 में पट्टा तारीख 22.02.1981 जारी किया गया, इस पट्टे में दक्षिण में मदनसिंह खीमसिंह पुरोहित दर्ज है तथा प्रार्थी संख्या 6 शिवलाल का पुत्र है तथा उक्त पट्टा सादडी रोड से चिपते बना हुआ है यानि कि 894 की आबादी की भूमि सादडी रोड के पूर्व की तरफ है तथा सादडी रोड के वर्तमान खसरा नम्बर 3868 है तथा उक्त दोनों पट्टे से आबादी भूमि की लोकेशन स्पष्ट है तथा प्रार्थी संख्या 6 के पिता शिवलाल द्वारा उक्त पट्टे की भूमि प्रतापसिंह को जरिये पंजीयन वेधायण के दिनांक 07.05.1990 को हस्तान्तरण कर दिया व अब उक्त अप्रार्थी संख्या 6 उक्त आबादी भूमि को गोचर भूमि अथवा सिवायक भूमि होना दर्ज कर उक्त निगरानी पेश की है तथा आबादी भूमि होना नहीं दर्ज किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा 894 के नये नम्बर कायम किये परन्तु नये नम्बर में किस्म परिवर्तन कर दी व आबादी भूमि दर्ज नहीं की, जबकि जो नये नम्बर 3877 कायम हुए है वो पूर्ववत पुराने खसरे के अनुसार आबादी भूमि है। सेटलमेंट विभाग को किस्म चेंज करने का अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी संख्या 6 को इस बाबत



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

उपनाम : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेतुरिंह व अन्य वनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत घारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

जानकारी है कि उक्त भूमि पट्टाशुदा भूमि है तथा इसके संबंध में राजस्थान पंच संख्या 23/1991 भी एस.डी.ओ. कोर्ट में चला, जिसका निर्णय दिनांक 30.03.2002 को हुआ व इस तथ्य को छुपाकर निगरानी प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई है व इसके साथ ही यहां यह दर्ज किया जाता है कि खसरा नम्बर 3877 की भूमि का आबादी परिवर्तन भी दिनांक 15.11.1989 को हुआ था, जिसके खसरा नम्बर 3877/1 कागम हुए तथा ग्राम पंचायत की भूमि पूर्व से खसरा नम्बर 894 के रूप में रही है, इस कारण से गैर मुमकीन गौघर होने का असत्य व अस्वीकार है व निगरानी कताई चलने योग्य नहीं है तथा अप्रार्थी को जारी पट्टे के पत्नीस में बदनासिंह का पत्नीस उत्तर में दर्शाया गया है, इस तरीके से आबादी भूमि होना स्पष्ट है।

2. निगरानी के पद संख्या 2 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वक्त नीलामी उक्त भूमि प्रार्थीगण की नहीं थी तथा खसरा नम्बर 894 का हिरसा ही अप्रार्थी की पट्टे की भूमि है तथा उक्त भूमि पूर्व में आबादी भूमि थी व सेटलमेंट द्वारा गलत इन्दाज किया गया है। प्रार्थी का 3877/5745 स्वयं बट्टा नम्बर है तथा मूल नम्बर 3877 है तथा ग्राम पंचायत को अपनी भूमि का हस्तान्तरण करने का अधिकार है तथा नीलामी की कार्यवाही कर अप्रार्थी को पट्टा देने का आदेश पारित किया गया है।

3. निगरानी के पद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये हैं जो गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3877 को दिनांक 14.01.1997 को आबादी में उपखण्ड अधिकारी वाली द्वारा लिये जाने का कथन किया है यह अस्वीकार है। दरअसल सच्चाई यह है कि पुराने खसरा नम्बर 894 रकबा 85 बीघा 7 बिस्वा आबादी थी तथा उक्त आबादी की भूमि को बदलने का अधिकार सेटलमेंट को नहीं था, परन्तु नये खसरा नम्बर किस्म चैन्ज कर दी गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.01.1997 के द्वारा गैरमुमकीन आबादी में लिये जाने के जो तथ्य दर्ज किये गये हैं, यह गलत है तथा खसरा नम्बर 3877/1 की भूमि दिनांक 01.06.1989 को ही 0.80 हैक्टेयर आबादी भूमि में दर्ज कर दी गई थी, प्रार्थी द्वारा गुमराह करने की नियत से उक्त कथन दर्ज किया गया है तथा म्यूटेशन संख्या 46 दिनांक 15.11.1989 को स्वीकृत किया गया है तथा आबादी घोषित करने का आदेश दिनांक 01.06.1989 का कलेक्टर, पाली का आदेश है। इस कारण से पद संख्या 03 के कथन असत्य व अस्वीकार है।

4. निगरानी के पद संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये हैं जो गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। पुराने खसरा नम्बर 894 रकबा 85 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि थी, जो जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 तथा प्रस्तुत गिरदावरी से आबादी भूमि होना स्पष्ट है। सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती व किस्म परिवर्तन से ग्राम पंचायत की भूमि समाप्त नहीं रहती है तथा किस्म परिवर्तन करने का अधिकार सेटलमेंट को नहीं था तथा नये नम्बर भी उसी के अनुसार आबादी भूमि है व जब नीलामी की कार्यवाही की गई, तत्समय भी आबादी भूमि थी तथा पूर्व में गौघर भूमि होने का कथन असत्य एवं अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ सरेण्डर भी नहीं किया, इस कारण से उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा जमाबंदी से, गिरदावरी से तथा प्रार्थी संख्या 6 के पिता को जारी पट्टे से उक्त भूमि आबादी होना तथा सादडी रास्ते से चिपते आबादी होना स्पष्ट है तथा अप्रार्थी के पट्टे में भी पश्चिम में सादडी रोड़ दर्ज है, इस कारण से जो निगरानी की गई है, यह विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। पट्टा आबादी भूमि का जारी किया गया है।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उपबान : समस्त पुरोहितान बारलावात, नाबोल के प्रतिनिधिगण जेटूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

5. निगरानी के पद संख्या 5 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। रामचन्द्र द्वारा आवेदन देने से भूमि पर प्रार्थी का अधिकार नहीं रहता है। रामचन्द्र द्वारा कोई भी आपत्ति कभी नहीं की, पंचायत में उच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि देने का आदेश पारित किया। ग्राम पंचायत को पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त था, मिसाल की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की गई तथा तारा देवी द्वारा 1/4 राशि जमा करवायी गई, नियम 260 के तहत आपत्ति का समय एक माह है। आदेश नीलामी का होने के 33 वर्ष बाद प्रार्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है तथा 33 वर्षों के पूर्व की कार्यवाही सही होने की उम्मीद है। इस कारण से जो पट्टा देने का आदेश पारित किया गया है, यह विधिनुसार है।
6. निगरानी के पद संख्या 6 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। नीलामी अंतिम हो चुकी है, सार्वजनिक खुले स्थान पर नीलामी हुई, नीलामी के समय चलेन्द्र नहीं किया गया, न ही तत्समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज की, आपत्ति पत्र में भूखण्ड की स्थिति स्पष्ट है। नीलामी की तमाम प्रक्रियाएं अपनायी गईं हैं। रामचन्द्र द्वारा कभी भी ग्राम पंचायत में नीलामी की कार्यवाही को निरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की, न ही कभी एतराज जताया तथा अप्रार्थी के पक्षों में मदनसिंह खीमसिंह पुरोहित का पट्टा है जो जबाब के साथ पेश है एवं यह भी सादडी रोड के पास है। प्रार्थी संख्या 6 जो शिवलाल का पुत्र है इनको भी पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी समाज बाहुवली होने के कारण बलजवरिया से ग्राम पंचायत की आवादी भूमि को हड़प करने के लिए उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की है।
7. निगरानी के पद संख्या 7 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 3867 का जो रकबा दर्ज किया गया है जो गलत रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थी के नाम की खातेदारी भी गलत रूप से दर्ज है। उक्त खातेदारी शून्य व अवैध है व प्रार्थीगण के कथन विरोधानापी है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3867 के पश्चिम की तरफ रास्ता बताकर ग्राम पंचायत की भूमि हड़प करना चाहते हैं तथा अप्रार्थी के भूखण्ड पर अतिक्रमण कर सादडी जाने वाली सड़क के चिपटे अतिक्रमण करने हेतु अमादा है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के लिए रास्ते के उपयोग के रूप में कभी नहीं आयी तथा नीलामी से लेकर वर्तमान तक इसके बाबत कभी एतराज नहीं रहा। तारादेवी के पक्ष में जो कार्यवाही हुई है, यह विधिनुसार है। भूखण्ड का कब्जा ग्राम पंचायत द्वारा तारादेवी को दिया गया तथा नीलामी के बाद पुष्टि हेतु एस.डी.ओ. वाली के यहाँ पत्रावली प्रेषित की गई, परन्तु पुष्टि होकर नहीं लौटी तथा तत्पश्चात एस.डी.ओ. देसूरी सर्जित हो गया, मौके पर प्रार्थी समाज का गेट लगे होने का कथन झूठा है तथा प्रार्थी अप्रार्थी के भूखण्ड का अस्तित्व नहीं हो, यह कथन भी प्रार्थी द्वारा गलत दर्ज किये गये हैं।
8. निगरानी के पद संख्या 8 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। दिनांक 31.10.2023 को पत्र संख्या 834 द्वारा जिला कलेक्टर, पाली द्वारा मार्गदर्शन पंचायत को दिया गया तथा उक्त आदेश जिला कलेक्टर (पंचायत) पाली अधिकृत के है। प्रार्थीगण द्वारा जिला प्रशासन पर साक्षात् दुर्भावनापूर्वक अंगुली उठायी है। पंचायत अधिनियम 1994 दिनांक 23.04.1994 को अस्तित्व में आया तथा इसकी धारा 124 (ग) (छ) में यह प्रावधान है कि नये नियमों के अनुसार कार्यवाही उसी रूप में अमल में लायी जावेगी व लागू रहेगी, इसी कारण पंचायतराज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 154(3) के तहत रुपये 50000/- तक की अंतिम बोली को ग्राम पंचायत के अधिकार वर्ष 2016 से है तथा इसके पूर्व 10000/- तक के थे, इस कारण अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, उक्त मार्गदर्शन दिनांक 31.10.2013 की



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

चनवान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदुरी सिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.08.2021 को लिया गया जो वैध है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी से 37299/- प्राप्त किये गये, दिनांक 31.10.2013 को आदेश विरही लिपिक का न होकर जिला कलेक्टर (पंचायत) पाली के है जो अधिकृत हस्ताक्षर है। चूंकि नीलामी बोली की उच्च बोली तारादेवी द्वारा लगायी गई थी व तत्समय के नियमों के अनुसार पुष्टि उपखण्ड अधिकारी देसूरी हो गया, परन्तु पुष्टि प्राप्त नहीं हुई तथा लिटिगेशन लम्बा चलता रहा व जिला परिषद पाली द्वारा दिनांक 07.08.2004 को ग्राम पंचायत से नीलामी राशि वसूल नहीं होने तथा अनुमोदन कब प्राप्त होने के संबंध में ग्राम पंचायत को पत्र प्रेषित किया गया था, इसके बाद दिनांक 19.06.2006 को भी जिला परिषद द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था व ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा दिनांक 23.08.2006 तथा दिनांक 22.06.2009 को अपनी ओर से जवाब भेजकर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने बावत लिखा गया था व शेष राशि अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण प्राप्त नहीं की जा सकी, यह लिखा गया था कि लिटिगेशन रहने के कारण प्रकरण लम्बा हुआ है तथा इसमें अप्रार्थी की कोई भी लापरवाही नहीं है व पट्टा जारी करने का आदेश व रुपये जो जमा हुए हैं यह विधिनुसार है तथा उप नियम 3 के अनुसार 18 प्रतिशत दर से दण्डनीय व्याज भी अप्रार्थी से प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया जो विधिनुसार है व प्रार्थी खारिज करवाने का अधिकारी नहीं है।

9. निगरानी के पद संख्या 9 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है नीलामी की कार्यवाही की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा नीलामी की अंतिम मंजूरी उपखण्ड अधिकारी की पुष्टि के बाद की जानी थी तथा शेष रकम भी इसके बाद ही प्राप्त की जानी थी, जब पुष्टि ही नहीं हुई तो ग्राम पंचायत द्वारा 75 प्रतिशत राशि अप्रार्थी से प्राप्त नहीं की, अंतिम मंजूरी नियम 265(क) के तहत पुष्टि के बाद रहनी होती है। चूंकि एस.डी.ओ. बाली से अंतिम मंजूरी ही नहीं हुई व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तत्पश्चात कार्यवाही चलती रही तथा अंतिम में कलेक्टर, पाली से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तत्पश्चात ही पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा कलेक्टर, पाली के मार्गदर्शन की पालना में दिनांक 06.08.2021 को आदेश पारित किया गया, इस आदेश को प्रार्थीगण द्वारा कहीं चैलेंज नहीं किया गया है। जब अंतिम मंजूरी ही नहीं हुई व ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी की कार्यवाही अप्रार्थी के प्रतिबूल नहीं की तो नियम 133 की पालना का अस्तित्व नहीं रहता है तथा आपत्ति पत्र एक माह का जारी कर दिया गया था। लिटिगेशन पंचायत के स्तर पर रहने से अप्रार्थी द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती है व हमेशा प्रार्थी अप्रार्थी राशि जमा कराने हेतु तैयार व तत्पर था तथा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर, पाली जिला परिषद, पाली एस.डी.ओ. देसूरी तक अनुमोदन के संबंध में लगातार कार्यवाही जारी रही है व इस कार्यवाही के जारी रहने के कारण प्रार्थी को राशि जमा नहीं करवाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस कारण से पेश निगरानी काबिल खारिज के है।

10. निगरानी के पद संख्या 10 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अनुसार विधिक हक अधिकारिता के तहत विधिक पूर्ण कार्यवाही करके पट्टा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया गया है। नियम 133 की घोषणा की गई है, नियम 265(2) के अनुसार एस.डी.ओ. बाली से अंतिम मंजूरी प्राप्त होनी थी, जो प्राप्त नहीं हुई तथा अप्रार्थी द्वारा नीलामी में उच्च बोली के बाद 1/4 हिस्से की राशि तुरन्त जमा करवा दी व उसके बाद कार्यवाही ग्राम पंचायत के अधीन थी, पुष्टि नहीं रहने से ग्राम पंचायत द्वारा शेष राशि प्राप्त नहीं की तथा 33 वर्षों बाद नीलामी आदेश के संबंध में प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश की है तथा उक्त मूल



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उपनाम : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

- नीलामी के आदेश को प्रार्थी द्वारा चैलेन्ज नहीं किया गया है। नीलामी मुकर्रर स्थान पर की गई तथा नीलामी को कभी भी चैलेन्ज नहीं किया गया है।
11. निगरानी के पद संख्या 11 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। नियम 263(2) की पालना की स्थिति भी नहीं आयी, नीलामी के तुरन्त नियम 265(2) के तहत उपखण्ड अधिकारी, वाली को अंतिम मंजूरी हेतु नीलामी के दरतावेज भेजे गये, जो अंतिम मंजूरी होकर दरतावेज वापस नहीं लौटे, इस कारण विधिक प्रक्रिया माफिक मार्गदर्शन प्राप्त किया गया व कलेक्टर, पाली के आदेश के बाद रकम जमा करवायी गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा रकम प्राप्त की गई तथा विक्रय की कार्यवाही स्वतः निरस्त नहीं होती है, पट्टा जारी नहीं करने के कारण प्रार्थी के कथन असत्य व अस्वीकार है। जब उपखण्ड अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ तो दो माह में स्वतः विक्रय निरस्त होना विधि अनुसार नहीं है, न ही उक्त विक्रय की कार्यवाही निरस्त ही हुई है। उक्त कार्यवाही पंचायत स्तर की थी व अनुमोदन एस.डी.ओ. से प्राप्त नहीं हुआ था, इस कारण से निगरानीकर्ता द्वारा जो इस पद में कथन किये गये हैं जो लागू नहीं रहते हैं।
12. निगरानी के पद संख्या 12 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 265 के तहत नीलामी की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वाली के यहां मंजूरी हेतु भेजी गई, परन्तु अंतिम मंजूरी प्राप्त नहीं हुई व बिना अनुमोदन के ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई। उक्त तथ्य जिला परिषद कलेक्टर पाली को व उपखण्ड अधिकारी को अवगत भी करवाया गया, ग्राम पंचायत द्वारा जिला परिषद को दिनांक 23.08.2006, 22.08.2009 को अपना जवाब प्रेषित कर यह कहा कि उपखण्ड अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से राशि जमा नहीं हो सकी व बिना अनुमोदन के ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी से राशि प्राप्त नहीं की तथा दिनांक 11.08.2009 को कार्यालय जिला परिषद, पाली द्वारा एस.डी.ओ. देसूरी को अनुमोदन करने हेतु पत्र भी लिखा, चूंकि अनुमोदन नहीं रहने का कारण एस.डी.ओ. वाली के बाद एस.डी.ओ. देसूरी सृजित होना है तथा इसके बाद ग्राम पंचायत नाडोल एस.डी.ओ. रानी में गया, इस कारण अप्रार्थी को पट्टा प्राप्त नहीं हो सका। उप जिलाधीश या जिला कलेक्टर द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर नीलामी आदेश जो वर्ष 1988 में अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया गया इसको निरस्त नहीं किया है तथा उक्त कार्यवाही लगातार विचाराधीन रही व अब पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के बाद ग्राम पंचायत को नीलामी की स्वीकृति देने का अधिकार व कलेक्टर पाली से मार्गदर्शन प्राप्त होने के कारण पट्टा आदेश पारित किया गया है व शेष राशि प्राप्त की गई है।
13. निगरानी के पद संख्या 13 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा निगरानी में कथन गलत दर्ज किये गये हैं। प्रार्थीगण का जैर निगरानी में दर्ज भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा, न ही कभी हक व अधिकार रहा, जबरदस्ती अप्रार्थी के भूखण्ड को बलपूर्वक अतिक्रमण करने हेतु अनादा है तथा प्रार्थीगण की भूमि भी नहीं है, खून खराबा करने के कथन, ऐलानिया धमकी देने व प्रार्थी का गेट लगा होने का कथन, प्रार्थी का रास्ता होने का कथन पूर्णतया गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण पीडित पक्ष नहीं है, प्रार्थी का लोकस स्टेण्डाई नहीं है। इस कारण से निगरानी करने का अधिकार नहीं है। पट्टे की भूमि पुराने खसरा नम्बर 894 का हिस्सा है व उक्त भूमि रकबा 65 बीघा 7 बिस्वा भूमि आबादी भूमि रही है। उक्त ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी सादडी रास्ते से चिपते काचिज रहना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को विधिक अधिकारों के तहत पट्टा जारी किया



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उपरोक्त : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेटूसिंह व अन्य वनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

गया है। अधिपत्य व स्वामित्व अप्रार्थीगण में निहित है। राजपुरोहित समाज धनगत से कब्जा करने हेतु अमादा है व इसी कडी में उक्त निगरानी कताई चलने योग्य नहीं है।

14. निगरानी के पद संख्या 14 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। सादडी सड़क के पूर्व की तरफ ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है तथा खसरा नम्बर 894 जो पुराने है, इसमें एकबा 65 बीघा 7 बिस्वा भूमि आबादी की है। तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 3867 के आगे पश्चिम की तरफ झूठा रास्ता बताने हेतु अमादा है। जो नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है। नक्शा शीट में खसरा नम्बर 3877 मूल दर्ज है तथा प्रार्थी को जो 3877/5745 की भूमि है, यह भूमि का टुकड़ा है। प्रार्थी का उक्त टुकड़ा मूल खसरा नहीं है। मूल खसरा 3877 ही है सादडी की तरफ जाने वाले सड़क के खसरा नम्बर 3878 है तथा 3878 व 3867 के बीच में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि 3877 है। उक्त भूमि कभी भी गौचर की भूमि नहीं रही है व पुराने खसरा के अनुसार भी उक्त भूमि आबादी भूमि है। प्रार्थी संख्या 6 के पिता शिवलाल को इसी भूमि में पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टे की भूमि को शिवलाल द्वारा अपने जीवनकाल में हस्तान्तरण कर दिया व अब उक्त भूमि को समाज व गोचर भूमि बताकर निगरानी पेश की है। जो निगरानी कताई चलने योग्य नहीं है।

15. निगरानी के पद संख्या 15 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिपूर्वक कब्जा अप्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया, पट्टा जारी किया गया, प्रार्थीगण का न तो कभी कब्जा रहा है, न ही कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा सुखाधिकार होने का भी कथन किया गया है, सुखाधिकार का अभिवचन दर्ज करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के पट्टासुदा भूमि होने के हक हकूक को स्वीकार कर लिया है जब सुखाधिकार के होने का कथन प्रार्थी द्वारा स्वीकार किये गया है तो उक्त भूमि गौचर भूमि होना अथवा प्रार्थीगण की होना अपने आप में ही विरोधाभासी कथन है। स्वामित्वकारी अप्रार्थी है तथा प्रार्थी की भूमि का आवागमन के लिये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडोल के खेल मैदान के पास होकर लम्बवत रास्ता विद्यमान है, इस कारण से सुखाधिकार का अभिवचन उक्त निगरानी पेश करने हेतु उजर नहीं रहता है व सुखाधिकार के आधार पर निगरानी प्रार्थीगण करने हेतु कानुनी सक्षम भी नहीं है।

16. निगरानी के पद संख्या 16 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रमाण पत्र फर्जी व मिलावट है, खसरा नम्बर 3877 के बारे में ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है उक्त प्रमाण पत्र दुरभिसंधि से प्राप्त किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र किस तारीख को किस प्रस्ताव के द्वारा जारी किया गया है, ऐसा भी रिकॉर्ड पर नहीं है। हक अधिकार प्रार्थीगण के नहीं है, इस कारण भी निगरानी खारिज होने योग्य है।

17. निगरानी के पद संख्या 17 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण अपनाई गई। उपखण्ड अधिकारी वाली को अंतिम मंजूरी हेतु व अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई व तमाम पत्रावली भी भेजी, अंतिम बोली तारादेवी के नाम की रही तथा राशि भी तारा देवी द्वारा 1/4 हिस्से की तत्समय जमा करवा दी गई तथा उच्च बोली की नीलामी को कही भी चैलेन्ज नहीं किया गया है। बोलीदाता की पत्रावली अनुमोदन के लिए भेजी जा चुकी थी, इस कारण तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का प्रभाव व दबाव रहने के कारण अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। पट्टा जो जारी किया गया है, यह विधिनुसार है तथा प्रक्रिया भी विधिनुसार है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
वाली, जिला-पाली



## पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उनवान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

18. निगरानी के पद संख्या 18 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित पट्टे की पत्रावली व कार्यवाही की सुसंगतता नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखण्ड की नीलामी में भाग लेने व उक्त बोली लगाने का अप्रार्थीगण व इसके पूर्वज तारादेवी को अधिकार था तथा पट्टा संख्या 195 पूर्व में जारी किया गया है तो भी यह ग्राहिका के लिये सुसंगत नहीं है। इस कारण से निगरानी प्रार्थी कर्तई चलने योग्य है।

अप्रार्थीगण द्वारा विशेष कथन कर निवेदन किया कि-

1. यह कि जमावदी सम्वत् 2034-2037 में पुराने खसरा नम्बर 894/3 रकबा 65 बीघा 9 बिसवा आबादी भूमि है तथा ग्राम पंचायत द्वारा इस आबादी भूमि में शिवलाल को पट्टा संख्या 22 दिनांक 22.02.1981 तथा मदनसिंह को पट्टा संख्या 19 दिनांक 29.12.1980 को जारी किया गया है तथा इन दोनों पट्टों के परिधि में सादड़ी जाने वाली मुख्य सड़क स्थित है तथा इस लोकेशन से अप्रार्थी का पट्टा आबादी भूमि में होना साबित है, उक्त भूमि न अप्रार्थीगण की भूमि है और न ही गोबर भूमि है।
2. यह कि, प्रार्थी संख्या 6 के पिता शिवलाल खसरा नम्बर 894 में जो पट्टा जारी किया गया था, इस पट्टे की भूमि को रजिस्टर्ड बेचाण द्वारा दिनांक 07.05.1990 को बेचाण द्वारा हस्तान्तरण कर दिया गया तथा इन दस्तावेजों के आधार पर भी अप्रार्थी को जारी पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के संबंध ही है व सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटि से ग्राम पंचायत के हक अधिकार समाप्त नहीं होते तथा खसरा गिरदावरी में भी उक्त भूमि आबादी दर्ज है। जो गिरदावरी सम्वत् 2033 से 2036 में दर्ज है। यह कि सम्वत् 2024 से 2026 की जमावदी में खसरा नम्बर 894 रकबा 382 बीघा 7 बिसवा दर्ज है जो ग्राम पंचायत की भूमि है व इसमें से आबादी भूमि खसरा नम्बर 894/3 रकबा 65 बीघा 9 बिसवा दर्ज की गई है। इस कारण से प्रार्थी का यह कथन कि उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं है जो कर्तई चलने योग्य नहीं है।
4. नीलामी का फंसला दिनांक 09.05.1988 को हुआ प्रस्ताव संख्या 5 फिर संख्या 3 दिनांक 07.05.1988 को लिया गया, नीलामी सार्वजनिक जगह पर हुई। निगरानी 33 वर्ष बाद पेश की गई है। जो म्याद बाहर है। युक्तियुक्त समय 3 वर्ष है। प्रस्ताव संख्या 3 चले-जसुदा नहीं है।
5. नीलामी उच्च बोलीवाली की होने पर 1/2 हिस्से की राशि दिनांक 07.05.1988 को रसीद संख्या 182 के जरिये जमा करवाये गये। तत्पश्चात मंजूरी के लिये उपखण्ड अधिकारी बोली के यहां पत्रावली भेजी गई। परन्तु एस.डी.ओ. बोली द्वारा मंजूरी देकर पत्रावली नहीं लौटाई। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी कार्यालय देसूरी अस्तित्व में आया। परन्तु उक्त मंजूरी का आवेदन देसूरी से भी स्वीकृत होकर नहीं आया। इस कारण शेष बकाया बसूली की प्राप्ति नहीं रह सकी तथा नियम 265(2) के तहत मंजूरी अंतिम नहीं हुई तथा ग्राम पंचायत द्वारा शेष रकम प्राप्त नहीं की।
6. यह कि नया पंचायत राज अधिनियम 1994 दिनांक 23.04.1994 को अस्तित्व में आया। पंचायत राज अधिनियम 1996 दिनांक 30.12.1996 को अस्तित्व में आया। नये नियम अस्तित्व में आने के समय तक एस.डी.ओ. बोली, एसडीओ देसूरी में अंतिम मंजूरी ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हुई। सन 2010 में रानी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय अस्तित्व में आया। इस कारण शेष राशि बिना मंजूरी के ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं की।
7. यह कि उच्च बोलीदाता द्वारा कई बार जिला परिषद, जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी को आवेदन भी दिये, परन्तु गौर नहीं किया गया, उच्च बोलीदाता के आवेदन पर ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा दिनांक 26.03.2004 को जिला परिषद को पत्र



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बोली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उनयान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेतूसिंह व अन्य बगाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

लिखकर मार्गदर्शन चाहा। दिनांक 07.08.2004 को जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायत से दो बिन्दुओं का स्पष्टीकरण चाहा। दिनांक 23.08.2006 को ग्राम पंचायत द्वारा जिला परिषद को स्पष्टीकरण भेजकर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं भेजा। इस कारण शेष रकम प्राप्त नहीं हुई तथा दिनांक 29.08.2006 तक भी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुई। पत्र से स्पष्ट है। तत्पश्चात् जिला परिषद पाली द्वारा उपखण्ड अधिकारी देसूरी को स्मरण पत्र भेजा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 22.06.2009 को भी ग्राम पंचायत द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पाली को पुनः पत्र भेज अनुमोदन प्राप्त नहीं होने का निवेदन किया। तत्पश्चात् कार्यालय जिला परिषद द्वारा दिनांक 11.08.2009 को एस.डी.ओ. देसूरी को पुनः पत्र भेजा तथा अनुमोदन बाबत रिपोर्ट करने को कहा। एस.डी.ओ. देसूरी के दिनांक 01.01.2010 को ग्राम पंचायत नाडोल को पत्र भेजकर मूल पत्रावली एस.डी.ओ. नाडोल में तलब की। दिनांक 06.01.2010 को ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली मूल एस.डी.ओ. देसूरी को प्रेषित की।

8. ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा अनुमोदन के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर पाली को दिनांक 11.10.2013 को पत्र भेजा गया कलेक्टर पाली (पंचायत) द्वारा पत्र क्रमांक 834 दिनांक 31.10.2013 को अपना मार्गदर्शन भेजा गया कि नियम 154 (3) के तहत अपने स्तर पर नये नियमों के माफिक अंतिम मंजूरी देने हेतु सक्षम है। इस मार्गदर्शन के बाद दिनांक 06.08.2021 को शेष राशि नय दण्डनीय ब्याज जमा कराने पर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया व प्रस्ताव संख्या 5 लिया गया। इस प्रस्ताव को धलेन्ज करने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अभिवचन में दर्ज भूमि प्रार्थीगण की नहीं है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जो म्यूटेशन संख्या 417 प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। इसके अनुसार उक्त भूमि पूर्व से कॉलम संख्या 7 के अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि राजकीय भूमि हो या बाद में सेट अपार्ट की हो, ऐसा आदेश प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है।
  10. यह कि जैर निगरानी भूमि प्रार्थी की खातेदारी की नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण पीड़ित पक्ष नहीं है।
  11. यह कि प्रार्थी द्वारा निगरानी के पैरा संख्या 1 से तीन में खसरान बाबत उज्र लिए है। सेटलमेंट की त्रुटि दर्शायी है। उक्त उज्र धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत उठाए जाने योग्य नहीं है। घोषणा के संबंध में राजस्व व्यायालय (एस.डी.ओ. रानी) के समय उज्र लेने की स्थिति है। जो बाद के द्वारा निस्ताशित होंगे, उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि थी व ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार था। इस कारण नीलामी की कार्यवाही की गई।
  12. यह कि दिनांक 31.10.2013 क्रम संख्या 834 के जिला कलेक्टर पाली के आदेश की पालना में जैर निगरानी पट्टा दिया है। इस कारण निगरानी क्षेत्राधिकार के बाहर है।
- अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

हस्तगत निगरानी याचिका के सम्बन्ध में मूल रिकॉर्ड तलब कर उभयपक्ष की बहस सुनने का विनिश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने उक्त बहस निवेदन किया कि जिस समय मिसल कायम हुई, तब प्रश्नगत भूखण्ड आबादी भूमि नहीं थी। अतः ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 15/1984-85 के संबंध में सम्पादित की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित एवं अवैध है हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायत अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उपवान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेठूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

1953 तथा सामान्य नियम 1961 नियम 262 से 265 के आजापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा नीलामी कार्यवाही नियमों के विपरित होने से इसके आधार पर पारित प्रश्नगत संकल्प तथा प्रश्नगत पट्टा काबिल खारिज है। यह भी, कि मिसल 15/1984-85 में पुराने अधिनियम 1953 व सामान्य नियम, 1961 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर जैर निगरानी आलोच्य संकल्प दिनांक 09.05.1988 को पारित किया गया, जबकि पट्टा नवीन नियमों (राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996) में जारी किया गया। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि उच्च बोलीदाता श्रीमती तारादेवी की मृत्यु हो जाने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो जानी थी, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उनके तथाकथित वारिसों को जिला कलक्टर पाली के एक कूटरचित आदेश के आधार पर अनुमोदन का कथन करते हुए एव ग्राम पंचायत के राजकोष को हानि पहुँचाते हुए प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। यह भी, कि अवैध एवं वैधानिक रूप से शून्यकरणीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु मियाद का विन्दु लागू नहीं होता है तथा हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 तथा पट्टा संख्या 02 दिनांक 06.08.2021 को भी चुनौति दी गई है, अतः मियाद का प्रश्न अप्रासंगिक है।



प्रार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी की खातेदारी का भाग होने से प्रार्थीगण 'हितबद्ध' व्यक्ति की श्रेणी में शुमार है, अतः मिसल संख्या 15/1984-85 के संबंध में प्रभाव में लाई गई समस्त कार्यवाही को अपास्त किया जाए। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:-

1. 604 Dilip & otr. Vs. UIT Udaipur RRT 2008(1)
2. 144 LR of Dal chand Vs. State of Raj. DNJ (Raj) 1996
3. Usha Jugtawat Vs. State of Raj. 2018(2) DNJ (Raj) 497

वक्ता बहस काबिल अधिवक्ता रैस्पोंडेण्ट ने निवेदन किया कि प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका 33 वर्षों के असामान्य विलम्ब के उपरांत पेश किये जाने से अवधि बाधित है तथा प्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी आधारहीन है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख गोचर भूमि के सम्बन्ध में जारी किया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत नाडोल के वर्तमान खसरा नम्बर 3877 के गत खसरा संख्या 894/3 थे, जो कि गै.मु. आबादी के रूप में दर्ज थे। यह भी, कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 124 (छ) में पुराने अधिनियम के तहत प्रस्तावित एवं अनिर्णीत प्रकरणों की उत्तरजीविता का प्रावधान है, अतः पुराने नियमों के तहत प्रस्तावित कार्यवाही पर नवीन नियमों के अन्तर्गत पट्टा जारी करना पूर्णतः वैध है। वक्ता बहस यह भी निवेदन किया गया कि वर्ष 1988 में नीलामी समाप्ति के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता से शेष राशि जमा कराने में हुए विलम्ब का कारण उपखण्ड अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाना था। जिला कलक्टर,

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उनवान : सगरत पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिमण जेठूसिंह व अन्य वनाग रेश कुमार व अन्य अन्तर्गत घारा 07 राजरथान पंचायती राज अधिनियम, 1994

पाली द्वारा दिनांक 31.10.2013 को मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान किये जाने के उपरान्त उक्तव्य बोलीदाता के कारिसो द्वारा शेष राशि मय व्याज जमा करवाई गई और उनके पत्र में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। प्राणीपक्ष का यह तर्क आधारहीन है कि जिला कलेक्टर पाली के हस्ताक्षर कूटरचित है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्राणीपक्ष ने अभी तक फौजवाही कार्यवाही प्रस्तावित क्यों नहीं की। काबिल अधिकता रेस्पॉन्डेंट ने वादा के अन्त में विनाशपीन पंचायत पुनरीक्षण याचिका को सारहीन बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:-

1. Nikhila Divyang Mehta Vs. Hitesh P. Sanghvi (SC) 2025 (2) DNI (SC)

637

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर समलब्ध दस्तावेजों तथा प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का महनता से अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

हस्तगत पंचायत पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निरतारण हेतु निम्नलिखित प्रश्नों का निर्धारण

निर्णयन आवश्यक है:-



क्या मिसल संख्या 15/1984-85 में लिए गए निर्णय दिनांक 09.06.1988 को 33 वर्ष बाद चुनौति दिए जाने से हस्तगत पुनरीक्षण याचिका अवधि बाधित एवं खारिज योग्य है?

- क्या याचिकाकर्ता अर्थात् प्रार्थीपक्ष प्रश्नगत भूखण्ड एवं विचारपीन प्रकरण के सन्दर्भ में 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार है अथवा नहीं?
- क्या जैर पुनरीक्षण आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 02 दिनांक 06.08.2021 तथा मिसल संख्या 15/1984-85 से सम्बन्धित भूखण्ड आवादी भूमि में स्थित न होकर गोचर भूमि से सम्बन्धित है और ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा क्षेत्राधिकार से इतर गोचर भूमि का पट्टा जारी किया गया है?
- क्या ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 15/1984-85 में तत्समय प्रगत राजरथान पंचायत अधिनियम 1953 तथा सामान्य नियम 1981 के नियम 255 से 266 का उल्लंघन कर नीलामी कार्यवाही सम्पादित की गई?

उपरोक्त प्रश्नों का बिन्दुवार विवेचन एवं विनिश्चय निम्नानुसार है:-

- क्या मिसल संख्या 15/1984-85 में लिए गए निर्णय दिनांक 09.06.1988 को 33 वर्ष बाद चुनौति दिए जाने से हस्तगत पुनरीक्षण याचिका अवधि बाधित एवं खारिज योग्य है? अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाबपत्र के पैरा 5 में आपत्ति की है कि नीलामी का आदेश होने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उत्तरनाम : सनस्त पुरोहितान बारातावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेयूसिंह व अन्य वनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

के 33 वर्ष बाढ़ प्राप्ति को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। इसी जवाबपत्र में अंकित विशेष कथन संख्या 4 में अप्रार्थीपक्ष ने यह निवेदन किया है कि पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने का सुनिश्चित समय तीन वर्ष है तथा 33 वर्ष बाढ़ प्रस्तुत निगरानी मगद बाहर है।

अभिव्यक्ति प्रार्थीपक्ष ने इस बिन्दु पर वक्त बहल निवेदन किया कि अर्द्ध एवं विधि की दृष्टि में सून्यकारणीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता तथा हस्तगत निगरानी में राम पंचायत नाडोल के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 तथा पट्टा संख्या 02 दिनांक 06.08.2021 को भी चुनौती दी गई है, अतः अप्रार्थीपक्ष का 33 वर्षों के विलम्ब तथा मियाद बाहर ऐतराज अप्रासंगिक है।

सर्वप्रथम तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 तथा पूर्ववर्ती राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में भी पंचायत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है। द्वितीयतः प्रार्थी का यह तर्क भी सिद्ध पाया जाता है कि मिसल संख्या 15/1984-85 में ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.1988 के साथ साथ प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 को भी प्रार्थीपक्ष द्वारा चुनौती देते हुए दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत पंचायत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। जिस कारण मियाद का हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है।

अतः अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है कि 33 वर्षों के असामान्य विलम्ब उपरान्त प्रस्तुत हस्तगत याचिका मियाद बाहर एवं अवधिबाधित है।

2. क्या याचिकाकर्ता अर्थात् प्रार्थीगण प्रश्नगत भूखण्ड एवं विचाराधीन प्रकरण के सन्दर्भ में हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में शुमार है अथवा नहीं? प्रार्थीगण द्वारा याचिका के पैराग्राफ संख्या सात एवं चौदह में यह अंकित किया गया है कि जैर निगरानी आदेश, प्रस्ताव एवं पट्टे से प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया व्यथित, प्रभावित एवं हितबद्ध है, क्यों कि उपरोक्त पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3867 तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही भूमि खसरा संख्या 3877/1 में जारी किया गया है।

इस बिन्दु पर अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपने जवाबपत्र के पैराग्राफ संख्या 13 में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीपक्ष का इस भूखण्ड में Locus standi नहीं है और न ही प्रार्थीगण व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार है। पट्टे की भूमि पुराने खसरा संख्या 894 का हिस्सा है एवं उक्त भूमि रकबा 85 बीघा 7 बिस्वा भूमि आबादी भूमि रही है। उक्त ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी सादडी रास्ते के चिपते कायिज रहना चाहते हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली



पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उनवान : समस्त पुरोहितान वारलाबास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेतूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

यद्यपि उपरोक्त बिन्दु के सन्दर्भ में प्रार्थीपक्ष का यह तर्क साक्ष्य-सबूतों के आधार पर तथा सक्षम राजस्व न्यायालय में ही निर्धारित हो सकता है कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूमि का एक अंश प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3867 में सम्मिलित है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपते स्थित है और इस तथ्य को दोनों पक्षों ने ही स्वीकार किया है तथा प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि जैर निगरानी भूमि से होकर ही प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है। अतः आलोच्य पट्टा संख्या 02 दिनांक 06.08.2021 से प्रार्थीगण को प्रथमदृष्टया पीड़ित एवं हितबद्ध पक्षकार मानना न्यायसंगत है, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।

3. क्या जैर पुनरीक्षण आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 02 दिनांक 06.08.2021 तथा मिसल संख्या 15/1984-85 से सम्बन्धित भूखण्ड आवादी भूमि में स्थित न होकर गोचर भूमि से सम्बन्धित है और ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा क्षेत्राधिकार से इतर गोचर भूमि का पट्टा जारी किया गया है? जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूमि आवादी भूमि है अथवा गोचर भूमि, इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने परस्पर विरोधी क्लेम प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थीपक्ष का तर्ज है कि उनके खातेदारी खसरा संख्या 3867 और 3877/5745 के बीच में सेटलमेंट अधिकारियों ने अधिकारिता से परे जाकर अवैध रूप से एक नवीन खसरा 3877 संख्या 5.60 हेक्टेयर गोचर के रूप में दर्ज किया गया। उक्त नवसृजित खसरा 3877 में से 2 हेक्टेयर भूमि को उपखण्ड अधिकारी वाली के आदेश दिनांक 14.01.1997 एवं उसकी पालना में रवीकृत नामान्तरकरण संख्या 417 द्वारा आवादी भूमि के रूप में दर्ज कर नवीन खसरा संख्या 3877/1 सृजित किया गया, जिसमें कि जैर निगरानी आलोच्य मिसल में अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए अपने जवाबपत्र में अंकित किया है कि खसरा संख्या 3877 सेटलमेंट के दौरान नवसृजित खसरा न होकर पूर्व से ही ग्राम पंचायत की आवादी भूमि रही है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 894 रकबा 382 बीघा 07 बिस्वा थे तथा जमाबंदी संवत् 2034-2037 के अनुसार गत खसरा 894 को 894/3 रकबा 65 बीघा 07 बिस्वा आवादी भूमि के रूप में दर्ज किया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा गत खसरा संख्या 894 के नये नम्बर कायम किये गए, परन्तु किस्म परिवर्तन करते हुए आवादी भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया, जबकि नवीन खसरा संख्या 3877 पूर्वगत पुराने खसरे के अनुसार आवादी भूमि है। साथ ही, उक्त खसरा संख्या 3877 की भूमि का आवादी परिवर्तन भी दिनांक 15.11.1989 को हुआ था, जिसके खसरा संख्या 3877/1 कायम हुए। सारांशतः गत खसरा संख्या 894 रकबा 65 बीघा 07 बिस्वा भूमि आवादी भूमि ही थी, जिसका सेटलमेंट



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
शाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उत्तमान : रागरत पुरोहितान वारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेठूसिंह व अन्य बनाम रेशम कुमार व अन्य अन्तर्गत घास 07 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

विभाग द्वारा नवीन खसरा संख्या 3877 कायम करते हुए किरम परिवर्तन कर गोचर दर्ज कर दिया गया।

प्रश्नगत भूमि की किरम के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी दावे प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु अपने अपने तर्कों के समर्थन में तर्कपथ द्वारा मिलान क्षेत्रफल अथवा सेटलमेंट रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों जैसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मिलान क्षेत्रफल तथा सेटलमेंट रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के अभाव में यह निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूमि के गत खसरा नम्बर तथा किरम क्या थी ? किन्तु, दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की खातादारी भूमि खसरा संख्या 3867 तथा सादड़ी की तरफ की सड़क खसरा संख्या 3878 के मध्य स्थित है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व नक्शे अनुसार उक्त मध्य में स्थित भूमि के खसरा संख्या 3877/1 है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह ज्ञातिर होता है कि उक्त खसरा संख्या 3877/1 का मूल खसरा 3877 किरम गोचर दर्ज था। उक्त मूल खसरे 3877 में से आबादी भूमि आवंटन हेतु कुल दो आदेश जारी होना दस्तावेजों से प्रतीत होता है। प्रथम, जिला कलेक्टर पाली द्वारा आदेश क्रमांक/2390 दिनांक 01.06.1989



द्वारा आदेश क्रमांक 57 दिनांक 04.12.1989 द्वारा खसरा संख्या 3877/1 के अन्तर्गत गोचर में से 0.80 हेक्टेयर भूमि गै.मु. आबादी के रूप में दर्ज करते हुए नवीन खसरा संख्या 3877/1 कायम किया गया। उक्त नामान्तरकरण का जमाबंदी में अमलदरामद होना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक/160-161 दिनांक 14.01.1997 द्वारा इसी खसरे 3877 किरम गोचर में से 2 हेक्टेयर भूमि आबादी हेतु आवंटित कर जरिए नामान्तरकरण संख्या 417 (दिनांक 15.01.1997) से पुनः नवीन खसरा संख्या 3877/1 दर्ज किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम नाडोल पटवार गण्डल नाडोल चक द्वितीय का उक्त खसरा संख्या 3877/1 रकबा 02 हेक्टेयर किरम गै.मु. आबादी के रूप में ही दर्ज है।

अर्थात् यह तो निर्विवाद सत्य है कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूमि खसरा संख्या 3877/1 में स्थित है, जो वर्तमान में गै.मु. आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि उक्त भूमि खसरा संख्या 3877 किरम गोचर से आवंटित होकर आबादी भूमि के रूप में जरिए नामान्तरकरण संख्या 417 (स्वीकृति दिनांक 15.01.1997) से परिवर्तित की गई। अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क है कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूमि जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 01.06.1989 से आबादी भूमि के रूप में आवंटित होकर न.स. 57 के द्वारा उक्त खसरा संख्या 3877/1 कायम किया गया। यह भी सत्य है कि उक्त आदेश दिनांक 01.06.1989 तथा नामान्तरकरण संख्या 57 का जमाबंदी में अमलदरामद नहीं हो पाया। किन्तु यदि अप्रार्थीगण के इस तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

पंचायत विनियम संख्या : 2017/2024

उपबान : समस्त पुरोहितान बारलावार, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेठूसिंह व अन्य बनाम रोश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

भूमि जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 01.06.1989 से ही आबादी भूमि के रूप में आवंटित हो चुकी थी, तो भी ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 15/1984-85 में दिनांक 09.05.1988 को अप्रार्थीगण की माता के पक्ष में आवंटन का निर्णय लिये जाने की तिथि को उक्त भूमि आबादी के रूप में दर्ज ही नहीं थी, अपितु मिसल संख्या 15/1984-85 में नीलामी की कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि गोधर के रूप में राजस्व अभिलेख में शुमार थी। गोधर किरम की भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को आवंटन हेतु मिसल कायम करने, भूमि निरीक्षण तथा नीलामी प्रक्रिया के द्वारा आवंटन करने की अधिकारिता नहीं है। तत्समय प्रवक्त राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1981 के नियम 255 में प्रदत्त 'आबादी भूमि' की परिभाषा में गोधर भूमि सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 15/1984-85 में जिस भूमि के संबंध में नीलामी एवं आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की गई, वह भूमि उस समय आबादी भूमि के रूप में दर्ज न होकर गोधर भूमि थी, जिसके नीलामी एवं आवंटन का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त ही नहीं था। अतः सम्पूर्ण कार्यवाही 'प्रारम्भतः ही शून्य' (ab initio void) थी।

जहाँ तक सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान अनाविज्ञात ढंग से किरम परिवर्तन के उजर का सम्बन्ध है, तो उक्त घुटि के दुरुस्तीकरण का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी राजस्थान मू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्राप्त है। उभयपक्षकारान् संकट में रक्षक अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय में बाराजोही हेतु स्वतन्त्र है।



5. क्या ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 15/1984-85 में तत्समय प्रवक्त राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 तथा सामान्य नियम 1981 के नियम 255 से 266 का उल्लंघन कर नीलामी कार्यवाही सम्पादित की गई? उपरोक्त प्रश्न के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत नाडोल से तालय मिसल संख्या 15/1984-85 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण के प्रक्रियात्मक एवं केयानिक पहलुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

(i) हस्तागत प्रकरण से सम्बन्धित मिसल 15/1984-85 श्री रामचन्द्र दमानी पुत्र धनजी के आवंटन पर दिनांक 10.06.1984 को कायम की गई। उक्त आवंटन में घर बनाने हेतु भूखण्ड देने की मांग की गई थी किन्तु भूखण्ड विषय का विवरण तथा अडीस-पडोस अंकित नहीं किया गया। उक्त आवंटन पर सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया और 3750 वर्गफीट के भूखण्ड के नक्शा में भी पडोस अथवा चतुर्दशी का अंकन नहीं किया गया और न ही यह अंकित किया गया कि उक्त नक्शे से सम्बन्धित भूखण्ड ग्राम पंचायत नाडोल के कोनसे गली मोहल्ले में स्थित है। तीन पंखों द्वारा भूमि निरीक्षण प्रपत्र (नियम 255) में भी भूखण्ड की चतुर्दशी व पडोस का कोई अंकन नहीं है। किन्तु जब ग्राम पंचायत द्वारा "सामान्य नियम, 1981" के नियम 260 के अन्तर्गत आपत्ति इस्तित्हाज जारी किया तो उक्त आपत्ति इस्तित्हाज में प्रस्तावित भूखण्ड की चतुर्दशी का अंकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली जिला-पाली



पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उपनाम : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता है कि पूर्वोक्त दस्तावेजों में भूखण्ड की लोकेशन एवं चतुर्दशी का कहीं अंकन नहीं था तो आपत्ति इतिहास में किस आधार पर चतुर्दशी का अंकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष भी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कारण अथवा आधार प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

(ii) मिसल 15/84-85 में सलंगन आपत्ति इतिहास सरपंच के हस्ताक्षर से जारी होकर एक माह की अवधि के भीतर आपत्तियों आमंत्रित की गईं। सामान्य नियम, 1961 के नियम 260(2) के प्रावधानारूप चस्थानगी की पुष्टि के रूप में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी उक्त इतिहास की पुष्ट पर अंकित हैं। किन्तु उक्त आपत्ति इतिहास पर कोई दिनांक अंकित नहीं है, जिसके अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पूर्वोक्त एक माह की अवधि की गणना किस तिथि से प्रारम्भ मानी गई। मिसल 15/1984-85 की आदेशिका (आज्ञाओं की सूची) में भी उक्त तिथि पठनीय नहीं है और मात्र यह ज्ञात होता है कि उक्त आपत्ति इतिहास वर्ष 1984 में जारी किया गया था।

(iii) उक्त आपत्ति इतिहास के लगभग चार वर्ष के अन्तराल तक मिसल में कोई कार्यवाही प्रभाव में नहीं लाई गई एवं आज्ञा दिनांक 18.04.1988 से यह निर्णय लिया गया कि भूमि विक्रय नीलामी दिनांक 05, 06 एवं 07 मई, 1988 को दो सदस्यों के आमुख नीलामी पुकारी जावे। किन्तु प्रस्तावित नीलामी हेतु किन दो सदस्यों को नामित किया गया, इस सम्बन्ध में मिसल 15/84-85 की सम्पूर्ण पत्रावली में कोई आदेश संलग्न नहीं है और न ही पंचायत की बैठक दिनांक 18.04.1988 के कार्यवाही विवरण में ही उक्त दोनो सदस्यों के नाम अंकित हैं।

मिसल 15/84-85 की पत्रावली में नीलामी नोटिस संलग्न है किन्तु नीलामी कार्यवाही विवरण अर्थात् पर्चा मौका संलग्न नहीं पाया गया। नीलामी कार्यवाही रिपोर्ट अथवा पर्चा मौका के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि नीलामी किस दिन आयोजित की गई, कितने एवं किन-किन व्यक्तियों ने उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया तथा किस व्यक्ति ने कितनी बोली लगाई अथवा क्या वास्तव में नीलामी आयोजित हुई। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष भी नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जो यह सिद्ध कर सके कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में वास्तव में कोई नीलामी आयोजित हुई हो।

मिसल में संलग्न आज्ञा दिनांक 09.05.1988 में अंकित किया है कि भूमि विक्रय की नीलामी निश्चित दिनांक को पुकारी गई जिसमें उच्चतम बोली श्रीमती तारादेवी पत्नी शिवलाल घोहरा निवासी नाडोल की रुपये 751/- की आई।

प्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन याचिका के पैराग्राफ 09 में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत नीलामी में पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 262 में उपबन्धित समयावधि की पालना नहीं की है। नियम 262(1) यह उपबन्धित करता है कि पंचायत संकल्प द्वारा



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
राजस्थान-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024  
 प्रस्ताव : समस्त पुरोहितान वारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेतूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

ऐसी तारीख को विक्रय हेतु प्रस्थापित भूमि के नीलामी की आज्ञा देनी जो संकल्प की तारीख से एक महीने से पहले नहीं हो। अर्थात् पंचायत द्वारा नीलामी का संकल्प पारित करने की तिथि से एक माह की अवधि के बाद ही नीलामी आयोजित की जा सकती है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 06 दिनांक 18.04.1988 के द्वारा मिसल संख्या 15/84-85 में नीलामी का निर्णय लिया जाकर नीलामी हेतु 05, 06 एवं 07 मई 1988 की तारीख निश्चित की गई, अर्थात् नीलामी हेतु निश्चित की गई तिथि एवं संकल्प पारित करने की तिथि के मध्य एक माह से भी कम अवधि यानि महज 17 दिन का अन्तर था।

अतः स्पष्ट है कि मिसल 15/84-85 में नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में सामान्य नियम 1981 के नियम 262 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर एक माह से भी कम अवधि के भीतर नीलामी तिथि नियत की गई। इस प्रकार, अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष का यह तर्क सिद्ध होता है कि नियम 262 की अवहेलना में प्रस्तावित की गई नीलामी तथा पश्चातवर्ती सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि की दृष्टि में शून्य करणीय है।

(iv) प्रार्थीगण ने याचिका के पैराग्राफ 11 एवं 12 में यह आक्षेप किया है कि मिसल 15/84-85 में प्रस्तावित नीलामी के सन्दर्भ में नियम 263 एवं 265 की पालना नहीं की गई तथा उच्चतम बोलीदाता श्रीमती तारादेवी द्वारा शेष राशि दो माह की आज्ञापक अवधि की बजाए दिनांक 31.03.2014 अर्थात् 26 वर्षों के असामान्य विलम्ब के उपरान्त जमा करवाई गई। प्रार्थीगण के उपरोक्त आक्षेप के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त सामान्य नियम 1981 के नियम 263 तथा 265 का अवलोकन किया गया। नियम 263(1) में यह उपबन्धित है कि उच्चतम बोलीदाता बोली की रकम का दस प्रतिशत वही तुरन्त तथा शेष राशि नीलामी की तिथि से दो माह के भीतर जमा करायेगा। नियम 263(2) के अनुसार उपनियम (1) के प्रावधानानुसार रकम जमा नहीं कराने पर जमीन तुरन्त ही दुबारा बेची जाएगी तथा पूर्व में जमा दस प्रतिशत राशि भी लीटायी नहीं जाएगी। मिसल 15/84-85 में सलग्न नीलामी इशतहार की शर्त संख्या 01 व 02 में भी शेष राशि दो माह में जमा कराने तथा ऐसा नहीं होने की स्थिति में दुबारा विक्रय करने का स्पष्ट अंकन है। ग्राम पंचायत नाडोल की बैठक दिनांक 09.05.1988 के संकल्प संख्या 3 से स्पष्ट होता है कि उच्चतम बोलीदाता श्रीमती तारादेवी द्वारा कुल रकम 751/- रुपये की 1/4 राशि उसी दिन जमा करवा दी गई। किन्तु नीलामी रकम की शेष राशि दो माह की आज्ञापक अवधि के भीतर जमा नहीं करवाकर 26 वर्ष बाद दिनांक 31.03.2014 को जमा करवायी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उक्त विलम्ब हेतु कारण स्पष्ट करते हुए जवाबपत्र के पैराग्राफ संख्या 11 में निवेदन किया कि नियम 263(2) की पालना की स्थिति इसलिए नहीं आयी क्योंकि नीलामी के तुरन्त पश्चात नियम 265(2) के तहत उपखण्ड अधिकारी वाली को अन्तिम मंजूरी हेतु दस्तावेज प्रेषित किए गए जो अनुमोदन प्राप्त नहीं होने पर



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 वाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024

उनवान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेठूरिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

जिला कलेक्टर पाली से मार्गदर्शन प्राप्त किया एवं तदुपरांत ग्राम पंचायत द्वारा शेष रकम प्राप्त की गई।

निर्णय के इस स्तर पर मिसल संख्या 15/84-85 में सालान आदेशिका दिनांक 09.05.1988 का अवलोकन करना समीचीन है। आज दिनांक 09.05.1988 में अंकित है कि "आज पत्रावली बैठक में पेश हुई। भूमि विक्रय की नीलागी निश्चित दिनांक को पुकारी गई। जिसमें उच्चतम बोली तारादेवी पत्नि शिवलाल बोहरा निवासी नाडोल वाली की रुपये 751/- की आई। जिसकी 1/4 राशि आज ही जमा हो चुकी है। जिसकी सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है। मिसल की पुष्टि वारंते श्रीमान उप जिलाधीश मजदरय को निवेदन किया जाए। एक माह म्याद पुष्टि पश्चात् विक्रय विलेख शेष राशि जमा कर नियम 271 के अन्तर्गत विक्रय विलेख तारादेवी पत्नी शिवलाल बोहरा को जारी करने की स्वीकृति दी जाती है।"

उक्त आज्ञा दिनांक 09.05.1988 में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उपजिलाधीश (उपखण्ड अधिकारी बाली) से एक माह की म्याद अवधि में यदि पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता नीलामी की शेष 3/4 रकम जमा करवाएगा तथा ऐसी शेष राशि जमा होने पर उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में विक्रय विलेख निरुपादित किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्वोक्त आज्ञा से एक माह की अवधि अर्थात् 09/06/1988 से नीलामी तारीख से दो माह की अवधि अर्थात् 07.07.1988 तक उच्चतम बोलीदाता श्रीमती तारादेवी को नीलामी रकम की शेष 3/4 राशि जमा कराना आज्ञापक एवं अनिवार्य था। किन्तु उनके द्वारा इस अवधि में शेष राशि जमा नहीं करवायी गई और इस कारण नियम 263 के उपबन्धानुसार नीलामी प्रक्रिया वहीं निरस्त होकर दुबारा विक्रय का नोटिस जारी किया जाना अपेक्षित था।

इस संबंध में अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उपखण्ड अधिकारी बाली से नीलामी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से शेष रकम जमा नहीं करवायी गई। चूंकि नियम 265(2) में यह उपबन्धित किया गया है कि एक हजार रुपये से कम धनराशि की बोली के सम्बन्ध में (हस्तगत प्रकरण में 751/- रुपये मात्र) नीलामी कार्यवाही की प्रतिलिपि सम्बन्धित सब डिवीजनल ऑफीसर को प्रेषित की जाएगी तथा एक माह के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो पंचायत नीलामी को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही शुरू करेगी। पंचायत द्वारा आज्ञा दिनांक 09.05.1988 से यह स्पष्ट भी कर दिया था कि एक माह की म्याद अवधि उपरांत बोलीदाता द्वारा शेष रकम जमा होने पर उसके पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया जाएगा। उक्त रकम बोलीदाता द्वारा उक्त मियाद अवधि की समाप्ति पर जमा नहीं करवायी गई।

अतः यह प्रमाणित होता है कि मिसल संख्या 15/84-85 में नियम 263 एवं नियम 265 के उपबन्धों की पालना नहीं की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 207/2024  
 उन्वान : समस्त पुरोहितान बारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेतुसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

(v) अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने जवाबपत्र में यह भी अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने पर विभिन्न स्तरों पर पत्राचार किया गया तथा अन्त में ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलेक्टर पाली से जरिए पत्रांक/392 दिनांक 11/10/2023 द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया। जिस पर जिला कलेक्टर पाली द्वारा पत्र क्रमांक/834 दिनांक 31.10.2013 द्वारा यह निर्देश दिए गए कि राजस्थान पंचायत नियम 1996 के उपनियम (3) के तहत राशि दस हजार तक की पुष्टि के अधिकार ग्राम पंचायत स्वयं को है, अतः ग्राम पंचायत अपने स्तर से नीलामी की शेष राशि 18 प्रतिशत मय दण्डनीय ब्याज से वसूल कर पट्टा जारी कर प्रकरण ख़ौप करें। उक्त मार्गदर्शन प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 2014 में शेष रकम प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने उक्त पत्र को संदिग्ध एवं जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर को कुटुरचित करार देते हुए इस आदेश की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए हैं। धारा 97 के तहत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में कूटरचना इत्यादि तथ्यों की जांच करना अपेक्षित नहीं है।

इस बिन्दु के सन्दर्भ में यह अंकित करना प्रासंगिक है कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्र दिनांक 11.10.2013 से जब प्रकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया तब तक राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 एवं सामान्य नियम 1961 निरसित होकर नया कानून राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 लागू हो गए थे। उक्त नवीन अधिनियम की धारा 124(छ) के प्रावधानानुसार लम्बित मिसल 15/84-85 अन्तिम निर्णय हेतु उत्तरवर्ती पंचायती राज अर्थात ग्राम पंचायत नाडोल के समक्ष संस्थित हुई। नवप्रवृत्त राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में जिला कलेक्टर को नीलामी प्रक्रिया के अनुमोदन तथा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश देने का कहीं भी कोई उपबन्ध नहीं है। अर्थात जिला कलेक्टर को ऐसी कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 154 के उपनियम (3) के अनुसार नीलामी राशि पचास हजार से अधिक नहीं होने की स्थिति में पंचायत स्वयं निर्णय हेतु अधिकृत है एवं किसी प्रकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलेक्टर पाली से किन प्रावधानों के अन्तर्गत मार्गदर्शन चाहा गया एवं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसा तथाकथित मार्गदर्शन किन नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत प्रदान किया गया। पूर्व नियम 263 के आज्ञापक उपबन्धों में शिथिलता का अधिकार पंचायत अथवा जिला कलेक्टर को प्राप्त नहीं है।

संक्षेप में, उच्चतम योलीदाता द्वारा नीलामी की तिथि से दो माह के भीतर शेष 3/4 रकम जमा नहीं करवाने के कारण नीलामी प्रक्रिया उसी स्तर पर निरस्त की जाकर राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 263 के उपबन्धानुसार दुबारा नीलामी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 पाली, जिला-पाली



पंचायत निगरानी संख्या : 207 / 2024

उपरोक्त : समस्त पुरोहितान वारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदूसिंह व अन्य बनाम रमेश कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

आयोजित की जानी थी। किन्तु, हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं कर जिला कलेक्टर पाली प्राप्त ऐसे तथाकथित मार्गदर्शन, जिसका प्रवृत्त विधियों में कहीं उपबन्ध नहीं है, के आधार पर नीलामी तिथि से 26 वर्ष के बाद शेष रकम जमा करवायी गई।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम बोलीदाता श्रीमती तारादेवी की इससे पूर्व ही दिनांक 01.09.2011 को मृत्यु हो चुकी थी। बोलीदाता की मृत्यु के उपरान्त मिसल 15/84-85 में कार्यवाही स्वतः ही समाप्त हो चुकी थी, किन्तु जिला कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगना तथा ऐसे अवैधानिक मार्गदर्शन के आधार पर पूर्व नियम 263 की अवहेलना में वारिसों से शेष राशि जमा करवाना सम्पूर्ण प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने हेतु पर्याप्त कारण है।

(vi) दिनांक 31.03.2014 को शेष राशि 37112/- रुपये जमा होने के उपरान्त सात वर्ष से भी अधिक अवधि तक इस मिसल में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा एकाएक दिनांक 06.08.2021 को पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 05 के द्वारा स्वर्गीय तारादेवी के वारिसों के पक्ष में प्रश्नगत भूखण्ड का विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प संख्या 5 दिनांक 06.08.2021 में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि राशि जमा होने से सात वर्ष तक कार्यवाही रोकने के क्या कारण रहे तथा जब तारादेवी की वर्ष 2011 में ही मृत्यु हो चुकी थी, तो जिला कलेक्टर पाली को ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त संकल्प संख्या 05 में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मई, 1988 में प्रस्तावित नीलामी के आधार पर वर्ष 2021 में पट्टा जारी करने की बजाए सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त करते हुए राजकोष के हित में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 150 सपठित नियम 151 के प्रावधानानुरूप नये सिरे से दुबारा नीलामी की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनायी गई।

ऐसा न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि ऐसा अयुक्तियुक्त तथा अस्पष्ट संकल्प विधि की दृष्टि में संघारणीय नहीं है। संकल्प संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि बोलीदाता की मृत्यु पर नीलामी का पट्टा उनके वारिसों के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय किन नियमों के तहत लिया गया है।

(vii) बोलीदाता की मृत्यु उपरान्त तथा पूर्व नियम 263 की पूर्वापेक्षा में स्वतः ही निरस्त हो चुकी नीलामी प्रक्रिया के स्थान पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 150 सपठित नियम 151 के अन्तर्गत नये सिरे से नीलामी नहीं करवाकर ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा प्रश्नगत संकल्प संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 द्वारा राजकोष को हानि कारित की गई तथा बिना किसी नियम उपनियम का सन्दर्भ दिए स्व. तारादेवी के वारिसों के पक्ष में विक्रय विलेख संख्या 02 दिनांक 06.08.2021 निष्पादित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 2017/2024  
उनवान : समस्त पुरोहितान वारलावास, नाडोल के प्रतिनिधिगण जेदुसिंह व अन्य बनाम राज  
कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

सारणीकृत, मिसल संख्या 15/84-85 में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 09.05.1988 पारित होने के समय तक मिसल से सम्बन्धित भूमि आवाची न होकर ग्राम पंचायत के स्वामित्व में पर गोचर भूमि होना, तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1994 के नियम 262, 263 एवं 265 के आज्ञापक उपबन्धों की पालना नहीं होने तथा संकल्प संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 के अयुक्तियुक्त तथा वैधानिक दृष्टि से अपरिपक्व पाये जाने के आधार पर मिसल संख्या



15/84-85 में सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक करार दी जाती है।  
सम्बन्ध में प्रार्थीपक्ष द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी हस्तागत प्रकरण में पूर्णतः खरपा होते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पारित संकल्प संख्या 03 दिनांक 09.05.1988 तथा संकल्प संख्या 05 दिनांक 06.08.2021 अवैधानिक होने से अपास्त किये जाते हैं तथा उक्त संकल्पों के अनुक्रम में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 02 (मिसल संख्या 15/84-85) दिनांक 06.08.2021 बमाप 3750 फीट को खारिज किया जाता है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत नाडोल को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि प्ररनगत भूखण्ड के सम्बन्ध में विद्यमान नियम 150 सपठित नियम 151 के तहत नये सर नीलामी आयोजित की जाए, ताकि पंचायत को अधिकतम राजस्व आय प्राप्त हो सके।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाडोल को निर्देश दिए जाते हैं कि मिसल 15/84-85 एवं खारिज किए गये उक्त पट्टे पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मय निर्णय की पालनार्थ तहरीर के लौटाया जाए।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अतिरिक्त जिला पंचायत अधिकारी,  
पाली